फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

ओमप्रकाश बनाम प्रभारी अधिकारी पी0एच0सी0 भण्डारी वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे मु0नं0– 01/2026

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 490 एवं 491 वाके रामा भण्डारी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लगते हुए ही अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 448 स्थित है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 448 की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 490 एवं 491 में अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में करीब 20 फीट अतिक्रमण कर लिया गया है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थी को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान मौका पर्चा दिनांक 14.07.2025 पेश किया है जिसमें अंकित किया गया है कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भण्डारी के खसरा नंबर 448 का सीमाज्ञान पूर्व में तीन बार करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में एवं दौराने मौखिक बहस यह निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण निर्माण किया गया हो, बल्कि सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित है कि खसरा नंबर 448 का तीन बार सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए गए है जिनसे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन अप्रार्थी द्वारा किया गया हो। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 के अनंतोष में भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 490, 491 एवं 448 के मध्य सीमा निर्धारण हुए बिना खसरा नंबर 490, 491 एवं 448 के मध्य बाउण्डरी वाल निर्माण न करें जबकि सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भूमि का तीन बार सीमाज्ञान हो चुका है जिससे यह भी स्पष्ट है कि सीमा संबंधी कोई विवाद शेष नहीं है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त तथा सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	